न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सैयद शीराज अली जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 97 सन 2018

अनवान :–

1. कालूराम पुत्र शिशपाल जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. शिशपाल पुत्र मनफुल जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
2. ओमप्रकाश पुत्र शिशपाल जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत

अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता सायल

श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– २.११.१८

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 150/135 की कुल 4.1740हैक भूमि स्थित है जो गैरसायल संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

सायल व गैरसायल न0 2 वाद भूमि में अपने पिता गैरसायल न0 1 के साथ जन्म से ही वहिव के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार काश्त करते आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि गैरसायल न0 1 अकेले के नाम से दर्ज हे जिससे सायल राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाए प्राप्त नही कर सकता है तथा प्रतिवादीया संख्या 3 ता 5 जो सायल की वहने है ने अपने हक हिस्सा का त्याग अपने भाईयों एवं पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये सायल व गैरसायल 1 ,2 वाद भूमि को मुश्तरका ही काश्त करते आ रहे है वाद भूमि मुश्तरका होने के कारण सी लगान व रकम राज का आपस में झगडा रहता है इसलिये वाद भूमि का अपने हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अंलग अलग दर्ज करवाना चाहते है। वाद भूमि गेरसायल न0 1 अकेले के नाम से दर्ज होने के कारण वह बिना आवश्यकता के वाद भूमि को बेचान करने पर उतारू है इसलिये सायल गैरसायल को पावन्द करवा पाने के अधिकारी है कि कि गैरसायल वाद भूमि का खाता विभाजन करवाये बिना रहन बेय नही करे रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गेरसायल जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि सायल व गैरसायल का 1/6– 1/6 हिस्सा बनता है सायल ने गलत तथ्यों के आधार पर 1/3 हिस्सा अंकित किया है ना ही सायल की बहनों गैरसायल न0 3 ता 6 ने अपना कोई हक हिस्सा तर्क किया गया है तथा उतरदाता गेरसायल वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसे बिना किसी आधार के पावन्द नही किया जा सकता है सायल ने प्रार्थना पत्र क्लीन हेण्ड से पेश नही किया गया है प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 150/135 की कुल 4.1740हैक भूमि स्थित है जो गैरसायल संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण सायल एवं गेरसायल न0 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है एवं सायल की बहने गैरसायल न0 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा का त्याग अपने भाईयों एवं अपने पिता के पक्ष में त्याग किया हुआ है जिसके कारण वाद भूमि सायल एवं गैरसायल न0 1 ,2 का बरबार का हक हिस्सा है अर्थात 1/3 हिस्सा प्रत्येक का है जो वर्तमान में मुश्तरका काश्त करते आ रहे है जिसके कारण सीव लगान का विवाद रहता है इसलिये सायल अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहते है किन्तु गैरसायल भूमि बेचान करने पर उतारू हे इसलिये सायल गैरसायल को पावन्द करवा पाने को अधिकारी हे कि खाता विभाजन होने तक वाद भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से स्थानान्तरण नही करे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

वकील गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने निवेदन किया की गेरसायल न0 1 के वाद भूमि विरास्तन से दर्ज होना स्वीकार है किन्तु सायल का वाद भूमि में 1/3 हिस्सा स्वीकार नही है सायल का वाद भूमि में 1/6 हिस्सा है क्योकि सायल व गैरसायल न0 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है इसलिये सायल का 1/6 हिस्सा बनता है गैरसायल न0 1 की पुत्रियों ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग सायल के पक्ष में नही किया गया है ना ही सायल ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया जिससे हकत्याग किया जाना साबित होता हो वर्तमान गैरसायल न0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है रिकार्डेड खातेदार को बिना किसी साक्ष्य या ठोस आधार के पावन्द नही किया जा सकता है साथ ही सायल ने प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नही किया गया है इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 150/135 की कुल 4.1740हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जो पूर्व में उनके पूर्वजो के नाम से दर्ज थी विरास्तन से गैरसयाल के नाम से दर्ज हुई है अर्थात पैतृक सम्पति है इस तथ्य को सायल व गैरसायल दोनो ही स्वीकार करते है। सायल का कथन है कि उनकी बहनो प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है किन्तु सायल ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके की सायल की बहनों से अपने हकों का त्याग किया गया हो मात्र कथनों के आधार पर हकत्याग किया जाना नही माना जा सकता है जब तक हकत्याग किया जाना साबित नही हो जाता तब तक सायल 1/6 हिस्सा का ही हकदार है व अपने हक हिस्सा तक की मांग कर सकता

Scanned with CamScanner

है इससे अधिक की मांग न्यायोचित नही है तथा सायल समस्त भूमि पर भी किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है वर्तमान गेरसायल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है खातेदार काश्तकार को बिना किसी ठोस आधार के पाबन्द किया जाना उचित नही हे सायल का प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा कार्यालय हाजा द्वारा दिनांक 07.08.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 2.11.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

(सैयद शीराज अली जैदी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner